भारत सरकार

महिला एवं बाल विकास मंत्रालय

**राज्‍य सभा**

**अतारांकित प्रश्‍न संख्‍या 1277**

दिनांक 20 दिसंबर, 2018 को उत्‍तर के लिए

**लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम के तहत पीड़ितों को अंतरिम क्षतिपूर्ति**

**1277. श्रीमती कानीमोझीः**

क्या महिला एवं बाल विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या यह सच है कि लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण (पॉक्‍सो) अधिनियम के तहत प्रभावित बालकों के राहत और पुनर्वास के लिए तत्कालिक आवश्यकता को पूरा करने के लिए दी जाने वाली अंतरिम क्षतिपूर्ति बहुत कम थी और यदि हां, तो इस समस्या के समाधान के लिए क्या उपाय किये गये हैं; और

(ख) क्या सरकार इस अधिनियम में अंतरिम मुआवजे को अनिवार्य करने के लिए संशोधन लाएगी और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

**उत्‍तर**

डा. वीरेन्‍द्र कुमार महिला एवं बाल विकास मंत्रालय में राज्‍य मंत्री

(क) से (ख) :माननीय सर्वोच्‍च न्‍यायालय के रिट याचिका (सिविल) संख्‍या 565/2012 – निपुण सक्‍सेना तथा अन्‍य बनाम भारत संघ एवं अन्‍य मामले में दिनांक 05 सितम्‍बर, 2018 के निदेशों अनुसार पॉक्‍सो अधिनियम, 2012 के तहत यौन अपराधों के पीडितों के लिए यौन हमलों / अन्‍य अपराधों की पीडित / बची महिलाओं के लिए नाल्‍सा प्रतिपूर्ति स्‍कीम, 2018 को अपनाया गया है। नाल्‍सा स्‍कीम 02.10.2012 से परिचालन में है। महिला एवं बाल विकास मंत्रालय ने दिनांक 24.09.2018 के अपने अपने पत्र द्वारा सभी राज्‍यों / संघ राज्‍य क्षेत्रों के संबंधित विभागों से अनुरोध किया है कि वे पॉक्‍सो अधिनियम, 2012 के अंतर्गत नाल्‍सा पीडि़त प्रतिपूर्ति स्‍कीम, 2018 का व्‍यापक प्रचार करें।

\*\*\*\*\*\*\*